62

संख्या- /XXVIII-3-2012-68/2012

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह

प्रमुख सचिव/खाद्य सुरक्षा आयुक्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अभिहित अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक 03 अगस्त, 2012

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य
3. मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य
4. प्रतिनिधि, शहरी विकास विभाग - सदस्य
5. प्रतिनिधि, जिला पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग। - सदस्य
6. प्रतिनिधि-जिला पूर्ति अधिकारी - सदस्य
7. अभिहित अधिकारी - सदस्य सचिव

जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह में आहूत की जायेगी।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.2 उपनियम (ii) के अनुसार अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला अधिकारी के सम्यक् नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे तथा उनकी वार्षिक चरित्र पंजिकायें भी जिलाधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जायेंगी, जिसका स्तर निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1.	अभिहित अधिकारी	जिलाधिकारी	संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा	खाद्य सुरक्षा आयुक्त

G:\medical-3\approved draft.doc

2.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	अभिहित अधिकारी	जिलाधिकारी	खाद्य सुरक्षा आयुक्त

3. जनपद स्तर से अभिहित अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अनुसार भेजे जाने वाले विभिन्न प्रारूप/सूचना आदि जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त ही शासन/आयुक्त/भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

4. अभिहित अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था यथासम्भव जिलाधिकारी कार्यालय अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में यथावत् रहेगी। उक्त व्यवस्था में परिवर्तन जिला अधिकारी की सहमति से अन्यत्र किये जाने की व्यवस्था यथा-आवश्यकता की जायेगी।

राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव/खाद्य सुरक्षा आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या- F.S-54/XXVIII-3-2012-68/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पंचायती राज/ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अभिकरण, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
6. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अधिनियम के अनुरूप उपरोक्तानुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

G:\medical-3\approved draft.doc